दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 27.08.2013

निर्णीत : 09.12.2013

सि.वा.(मू.प.) 1730/2010

अशोक कुमार रायजादा .....वादी

द्वारा: श्री एस. सी. सिंघल, अधिवक्ता।

बनाम

बैंक ऑफ राजस्थान और अन्य ..... प्रतिवादीगण

द्वारा: श्री एस. के. गर्ग, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता।

श्री रोहित वर्मा, प्र.-2 के लिए अधिवक्ता।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ

<u>सि.वा.(मू.प.) सं.1730/2010</u>

1. दिनांक 8.5.2012 को, इस न्यायालय ने एक प्रारंभिक मुद्दा विरचित किया था, जो इस प्रकार है:-

> "1. क्या सिविल न्यायालय के पास वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 34 के कारण वर्तमान वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? प्रतिवादी पर साबित करने का भार है।"

उक्त मुद्दे पर दलीलें सुनी गईं।

2. वर्तमान वाद वादी द्वारा दायर किया गया है जिसमें यह घोषणा करने की डिक्री की मांग की गई है कि स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल के पक्ष में दिनांक 15.4.2005 और 29.6.2005 का विक्रय विलेख, जो क्रमशः प्रतिवादी संख्या 1/आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड (पूर्व में बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड) और पंजाब नेशनल बैंक/प्रतिवादी संख्या 2 के पास जमा हैं और संपत्ति संख्या ए-59, शंकर गार्डन, नई दिल्ली से संबंधित दस्तावेज जाली और मनगढ़ंत हैं और उक्त संपत्ति से संबंधित नहीं है और यह घोषित करने के लिए कि वादी का उक्त संपत्ति से संबंधित दिनांक 11.2.1986 का विक्रय विलेख वास्तविक है और और यह घोषित किया जाए कि वादी उक्त संपत्ति का पूर्ण स्वामी है और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल को दिए गए ऋण से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

3. वादपत्र के अनुसार यह प्रकथन किया गया कि वादी उक्त संपत्ति/भूमि सं. ए-59, शंकर गार्डन, नई दिल्ली, जिसका माप $216\frac{2}{3}$ वर्ग गज है, का स्वामी है और उसके कब्जे में है, जिसे वादी ने स्वर्गीय चमन लाल सूद के सभी बेटों श्री सरजीवन कुमार सूद, श्री पूरन चंद सूद, श्री अशोक कुमार सूद और श्री प्रदीप कुमार सूद से दिनांक 11.2.1986 को रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख के द्वारा खरीदा था। यह कहा गया है कि 18.12.2008 को वादी को पड़ोसियों से जानकारी मिली कि इसकी चारदीवारी पर एक नोटिस चिपकाई गई है जिसमें एक रिसीवर नियुक्त किया गया है। इससे पता चला कि श्री आलोक गुप्ता नामक व्यक्ति ने

अपील की थी और श्री आलोक गुप्ता के पक्ष में कुछ आदेश पारित किए गए थे। वादी का दावा है कि पूछताछ करने पर यह पता चला कि उक्त श्री आलोक गुप्ता ने दिनांक 26.10.1971 का विक्रय विलेख प्रस्तुत किया था। वादी का दावा है कि उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापन करने पर, कोई विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकृत नहीं पाया गया। इसलिए वादी ने संबंधित पुलिस थाना में प्राथमिकी सं. 88/2009 दायर किया। ऐसा प्रकथन किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा चालान दाखिल किया गया है। वादी ने ऋण वसूली अधिकरण-III के समक्ष वि.अ. सं.474/2008 अपील दायर की और डी.आर.टी.-III ने अधिकृत अधिकारी द्वारा कुर्की के आदेश को यह घोषणा करते हुए अभिखंडित कर दिया कि वादी की संपत्ति को बैंक की प्रतिभूत आस्ति के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

4. यह कहा गया है कि डी.आर.टी. के उक्त आदेश के बावजूद वादी को प्रतिवादी सं.1/ बैंक ऑफ राजस्थान द्वारा सूचित किया गया कि संपत्ति श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल द्वारा उनके यहाँ गिरवी रखी गई थी, जिनकी मई, 2009 में मृत्यु हो गई। आगे यह भी पता चला कि उक्त श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने प्रतिवादी सं.2/ पंजाब नेशनल बैंक से भी 3.75 करोड़ रूपये का ऋण लिया है और हक विलेख जमा करके उक्त वाद संपत्ति को गिरवी रखा है। पंजाब नेशनल बैंक/प्रतिवादी संख्या 2 ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के

प्रावधानों के तहत कार्रवाई की, वादी ने प्रतिवादियों को वाद संपत्ति पर कब्जा करने से रोकने के लिए रि.या.(सि.) सं. 10510/2009 दायर किया। अंततः, यह कहा गया है कि बैंकों द्वारा दायर जवाबी-शपथपत्र से यह पता चला है कि स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल के पक्ष में बनाया गया विक्रय विलेख, जो बैंक ऑफ राजस्थान में जमा किया गया था, दिनांक 15.4.2005 का है और इसे श्रीमती मायावती के अटर्नी के रूप में श्री जगदीश चंदर द्वारा निष्पादित किया गया है। उक्त स्वर्गीय चंदर प्रकाश अग्रवाल द्वारा प्रतिवादी सं.2/पंजाब नेशनल बैंक में दिनांक 29.6.2005 को जमा किया गया विक्रय विलेख को श्री लेहजा सिंह यादव द्वारा श्री सरदारी मल गुप्ता की पत्नी श्रीमती मायावती के साधारण मुख्तारनामा के रूप में निष्पादित किया गया बताया गया है।

5. इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटान 28.7.2010 को यह टिप्पणी करते हुए किया गया था कि तथ्यों के विवादित प्रश्नों का निर्णय रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है और इसलिए, वादी को सिविल वाद दायर करने सहित उचित उपाय करने की सलाह दी गई थी। इसलिए, वर्तमान वाद वादी द्वारा दायर किया गया है।

6. उपरोक्त के अलावा, आगे यह प्रकथित किया गया है कि श्रीमती मायवती के पक्ष में बनाए गए दस्तावेजों में, भूखंड की सीमाओं को उत्तर भूखंड सं. ए-60, दक्षिण भूखंड सं. ए-58 दर्शाया गया है। वादी ने प्रस्तुत किया कि वह ए-58, ए-60 और ए-62 भूखंडों के सभी विवरणों का पता लगाने में समर्थ है जो

वादी के आस-पास के भूखंड हैं। यह कहा गया है कि इन भूखंडों में भी भूमि का वही विवरण है जो वादी के विक्रय विलेख में मौजूद है, अर्थात्, ग्राम पोसांगीपुर और अभिलेख सं. 6, किला सं. 23। इसलिए, यह पुरजोर आग्रह किया गया कि श्रीमती मायवती और स्वर्गीय चंदर प्रकाश अग्रवाल के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख नकली है और वाद संपत्ति से संबंधित नहीं है।

7. प्रतिवादी सं. 1 ने लिखित कथन में दावा किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कार्रवाई की है और उक्त अधिनियम के तहत वादी के पास ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली के समक्ष धारा 17 के तहत उपाय उपलब्ध है। इसलिए, यह कहा गया है कि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 को देखते हुए वर्तमान वाद वर्जित है। इस बात से भी इनकार किया जाता है कि वादी उक्त वाद संपत्ति का मालिक है। यह प्रकथन किया गया है कि यह संपत्ति स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल के स्वामित्व में है, उन्होंने इसे श्री जगदीश चंद से दिनांक 15.4.2005 के विक्रय विलेख के द्वारा खरीदा था। उक्त श्री चंद्र प्रकाश अग्रवाल ने मैसर्स अपोलो इंडस्ट्रीज के एकमात्र मालिक के रूप में 1.6.2005 को उक्त प्रतिवादी के पक्ष में हक विलेख जमा करके वैध न्यायसंगत बंधक किया था और उक्त संपत्ति से संबंधित सभी मूल हक विलेख भी जमा किए थे।

8. प्रतिवादी संख्या 2/पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लिखित बयान में कहा है कि उसने पंजाब नेशनल बैंक बनाम मैसर्स शिवा इंडस्ट्रीज एवं अन्य शीर्षक से

मूल आवेदन (मू.आ.) संख्या 2134/2009 दायर किया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को को मृतक स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में 3,29,82,681/- रुपए की वसूली के लिए डी.आर.टी. के समक्ष खड़ा किया गया है। यह कहा गया है कि उक्त स्वर्गीय चंदर प्रकाश अग्रवाल ने उक्त प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में उक्त वाद संपत्ति को गिरवी रखा था। यह आगे कहा गया है कि उक्त प्रतिवादी ने दिनांक 04.05.2009 को नोटिस भेजकर एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कार्यवाही भी शुरू की है और वादी के पास उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत उपाय उपलब्ध है। यह दोहराया गया कि स्वर्गीय चंदर प्रकाश अग्रवाल ने वाद संपत्ति दिनांक 29.06.2005 के विक्रय विलेख द्वारा खरीदी थी, जिसे श्रीमती मायावती ने अपने अटर्नी श्री लेहाजा सिंह यादव के द्वारा उनके पक्ष में निष्पादित किया था।

9. प्रतिवादी सं. 3 से 6 ने भी लिखित बयान दायर किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें वाद संपत्ति के स्वामित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है और वे किसी भी तरह से इससे संबंधित नहीं हैं। इसलिए, यह प्रकथन किया जाता है कि उक्त प्रतिवादी को पक्षकारगण की सूची से हटाया जाना चाहिए। उक्त प्रतिवादी सं. 3 से 6 स्वर्गीय चंद्र प्रकाश अग्रवाल के विधिक प्रतिनिधि हैं।

10. उपरोक्त प्रकथनों के आधार पर, मुद्दे विरचित किए गए और मुद्दा संख्या 1 को प्रारंभिक मुद्दा के रूप में माना गया।

11. वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद वादी पर प्रतिवादियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के अनुसरण में दायर किया गया है। विभिन्न आरोपों को दोहराया गया है, अर्थात्, एक ही व्यक्ति के पक्ष में अलग-अलग तिथियों के दो विक्रय विलेख नहीं हो सकते हैं। यह प्रकथन किया गया है कि ***मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 2371*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कि वर्तमान वाद पोषणीय है क्योंकि उक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 51 में एक अपवाद बनाया है, जिसमें यह कहा गया था कि सीमित सीमा तक सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है, जहां सुरक्षित लेनदारों की कार्रवाई कपटपूर्ण है क्योंकि उनका दावा बेतुका और असमर्थनीय है।

12. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई गंभीर प्रस्तुतियाँ नहीं की गई हैं। हालांकि, उन्होंने ***स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम जिगिशाबेन बी. संघवी एवं अन्य, II(2011) बी.सी. 139 (डी.बी.) और स्वाति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य, III (2008) बी.सी. 80 (डी.बी.)*** पर भरोसा करते हुए दावा किया है कि वर्तमान वाद एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 के तहत वर्जित है।

13. एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा34 इस प्रकार है:-

"34. **सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होना चाहिए.-**

> किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी मामले के संबंध में किसी भी वाद या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसे ऋण वसूली अधिकरण या अपील अधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है और किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत या बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई व्यादेश नहीं दी जाएगी।

मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 51 में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किए हैं:-

> 51. हालांकि, सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का भी अत्यंत सीमित सीमा तक उपयोग किया जा सकता है, जहां उदाहरण के लिए, प्रतिभूत लेनदार की कार्रवाई को धोखाधड़ी माना गया है या उसका दावा इतना हास्यास्पद और असमर्थनीय हो सकता है कि इसके लिए किसी भी जांच की आवश्यकता नहीं हो सकती है या सटीक रूप से कहने की आवश्यकता नहीं हो सकती है कि अंग्रेजी बंधक के मामलों में सिविल न्यायालय में कार्रवाई करने की गुंजाइश किस हद तक अनुमत है।

14. वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वादी का प्रतिवादी सं. 1 और 2 से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि न तो वह लेनदार है और न ही वह प्रत्याभूतिदाता है। डी.आर.टी. के समक्ष प्रतिवादी बैंक द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही में वह पक्षकार नहीं है।

15. ***वी. तुलसी बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक, III (2011) बी.सी. 556*** के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है। इस फैसले के पैरा 29 में, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "29. चतुराईपूर्ण और सूक्ष्म प्रारूपण के द्वारा, वादी मार्डिया केमिकल्स मामले, एम.ए.एन.यू./एस.सी./0323/2004: (2004) 4 एस.सी.सी. 311 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर सिविल वाद को लाने की कोशिश करके वाद हेतुक का भ्रम पैदा कर सकता है। यह इंगित करते हुए कि यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या धोखाधड़ी के ऐसे आरोप केवल वाद को पोषणीय के उद्देश्य से लगाए गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक बनाम जे. समथ बीवी 2010 (3) सी.टी.सी. 310 में, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः
>
> > 8. लेकिन साथ ही, न्यायालय का यह देखना भी कर्तव्य है कि क्या धोखाधड़ी के ऐसे आरोप केवल वाद को पोषणीय और अधिकरण के अधिकार क्षेत्र को हटाने और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों को दूर रखने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। यदि चतुराई से मसौदा तैयार करके, वादी वाद हेतुक का भ्रम पैदा करता है, तो न्यायालय इसे शुरुआत में ही समाप्त करने के लिए बाध्य है। यह पता लगाने के लिए कि क्या यह केवल चतुराई से मसौदा तैयार करने का मामला है, न्यायालय को वादपत्र को औपचारिक रूप से नहीं, बल्कि सार्थक तरीके से पढ़ना होगा। टी. अरवंदनम बनाम टी.वी. सत्यपाल एम.ए.एन.यू./एस.सी./0034/1977 : 1977 (4) एस.सी.सी. 467 में उच्चतम न्यायालय की यही इतरोक्ति है। आई.टी.सी. लिमिटेड बनाम ऋण वसूली अपील अधिकरण एम.ए.एन.यू./एस.सी./0968/1998 : 1998 (2) एस.सी.सी. 70, में न्यायालय द्वारा इसे पुनः यह अभिनिर्धारित करते हुए दोहराया गया है कि चतुराई से मसौदा तैयार करना, वाद हेतुक का भ्रम पैदा करना विधि में अनुज्ञाप्राप्त नहीं है। आदेश VII, नियम 11 (क) के तहत आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय द्वारा किसी शब्द को दोहराने या वादपत्र में भ्रम पैदा करने की कोशिश को निश्चित रूप से उजागर और प्रकट किया जा सकता है।"

16. इसी तरह यह न्यायालय ***ऋतु गुप्ता एवं अन्य बनाम उषा धांड एवं अन्य सि.वा.(मू.प.) 188/2011*** मामले में, पैरा 16 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

> "16. पक्षकारगण की उपरोक्त दलीलों पर कोई अंतिम विचार व्यक्त किए बिना, न्यायालय, प्रथम दृष्टया, संतुष्ट है कि पक्षकारगण द्वारा दी गई अभिवाक विचारणीय मुद्दों को उठाती हैं। प्रथम दृष्टया, यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसी संपत्ति के संबंध में त्वरित उत्तराधिकार में निष्पादित बिक्री विलेख संदिग्ध वैधता का है और यह अभिवाक कि धोखाधड़ी के कारण ये दूषित हैं, मामले में अंतिम राय लेने से पहले पक्षकारगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होगी। न्यायालय का विचार है कि मामला मार्डिया केमिकल्स बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा इंगित असाधारण श्रेणी के भीतर आता है, इस चेतावनी के साथ कि न्यायालय के लिए इस बारे में कोई विचार व्यक्त करना जल्दबाजी होगी कि कौन सा पक्षकारगण धोखाधड़ी में शामिल रहा है जो प्रथम दृष्टया की गई प्रतीत होती है।"

17. वर्तमान मामले के तथ्य निस्संदेह बताते हैं कि धोखाधड़ी का यह विवादास्पद मामला है, क्योंकि एक ही संपत्ति के लिए विभिन्न विक्रय विलेख मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्र प्रकाश अग्रवाल के पास एक ही संपत्ति के लिए दो अलग-अलग विक्रय विलेख थे और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में और प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में अलग-अलग बंधक रखे थे। वादी उक्त वाद संपत्ति के स्वामित्व का भी दावा करता है। आलोक गुप्ता नाम का एक और व्यक्ति है जो वाद संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करता प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त आलोक गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 88/2009 भी दर्ज की गई है और

उचित कार्यवाही लंबित है। स्पष्ट रूप से, इस मामले के तथ्य ***मार्डिया केमिकल्स बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त)*** मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इंगित असाधारण श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, मेरा मानना है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान मामले की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होगा।

18. प्रतिवादी सं. 1 और 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता का ***भारतीय स्टेट बैंक बनाम जिगिशाबेन बी. संघवी और अन्य, (पूर्वोक्त)*** के मामले पर भरोसा करना गलत है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि धोखाधड़ी का निराधार अभिवाक को उठाना ही मामले को ***मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (पूर्वोक्त)*** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए अपवाद के भीतर लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस मामले में पूरी शिकायत बंधक की वैधता के संबंध में थी जिसे बैंक के पक्ष में निष्पादित किया गया था।

19. इसी तरह ***स्वाति ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और अन्य बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य (पूर्वोक्त)***, के मामले में, उस मामले के तथ्यों में भी, वादी और प्रतिवादी की बीच लेनदार और कर्जदार के संबंध से इनकार नहीं किया गया था। अतः, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम की धारा 34 पूरी तरह से लागू होती है। वर्तमान मुद्दे का निर्णय तदनुसार किया गया है। इस न्यायालय के पास इस मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है।

20. आगे की कार्यवाही के लिए 03.02.2014 पर संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध करें।

<u>अंतर.आ.सं.11308/2010 (सि.प्र.सं. के आ. 39 नि. 1 के तहत)</u>

21. यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 के तहत है। इस न्यायालय ने 27.08.2010 को वाद संपत्ति के कब्जे और स्वामित्व की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

22. प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय देते समय मेरे उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि तथ्यों के बारे में गंभीर विवादित प्रश्न हैं कि क्या प्रतिवादी सं. 1 या प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में वाद संपत्ति के संबंध में और वाद संपत्ति के स्वामित्व के बारे में कोई वैध बंधक किया गया है। स्पष्ट रूप से वादी ने प्रथमदृष्टया मामला बनाया है। सुविधा की दृष्टि से वादी का पलड़ा भारी है। यदि संपत्ति को बेचने/अंतरित करने की अनुमति दी जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति और अहित होने की संभावना है।

23. तदनुसार, वाद के पक्षकारगण को अगले आदेश तक वाद संपत्ति के कब्जे और स्वामित्व की यथास्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।

24. आवेदन का निपटान किया जाता है।

जयंत नाथ, न्या.

9 दिसंबर, 2013
एन./आर.बी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*